29/6/22

पत्रावली आज वास्ते निर्णय/आदेश पेश हुयी। वकील उभयपक्ष उपस्थित। पत्रावली में बहस उभय पक्षीय पूर्व में सुनी जा चुकी है। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरान करते हुए कथन किया था कि मुताबिक सीमाज्ञान पत्थरगढ़ी के आदेश पारित किये जावे। विद्वान वकील अप्रार्थी सं0 7 ने पत्थरगढ़ी करने पर एतराज जाहिर किया कि सींवजोड़ खातेदार खसरा नंबर 430 के खातेदार श्रवणी देवी पक्षकार नहीं बनाया है। श्रवणी देवी द्वारा भी सीमाज्ञान का प्रार्थना पत्र न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। अतः दोनों प्रार्थना पत्र एक साथ निस्तारित किये जावें। वकुलाय उभय पक्ष की सहमति पर न्यायालय हाजा में आज की तारीख पेशी पर नियत अन्य पत्रावली अन्तर्गत धारा 128 एल.आर. एक्ट मुकदमा नंबर 212/2021 बउनवान श्रवणी देवी व अन्य बनाम रामकरण व अन्य पर उभय पक्षकारान को सुना गया। जिसमें विद्वान वकील प्रार्थीगण ने मुताबिक सीमाज्ञान 07.06.2021 खसरा नंबर 430 व 544 स्थित ग्राम चला की पत्थरगढ़ी की जावे। विद्वान वकील अप्रार्थी संख्या 02 जो कि पत्रावली 133/2021 बउनवान रामकरण बनाम अशोक वगै. में प्रार्थी के अधिवक्ता हैं ने कथन किया कि हम खसरा नंबर 546 व 548 के खातेदार हैं जो कि खसरा नंबर 430 व 544 के सींवजोड़

खसरा नंबर हैं। अतः दोनों पत्रावलियों में सीमाज्ञान पुनः उभय पक्षकारान की उपस्थिति में किया जाकर समस्त उभय पक्षकारान का रकबा पूरा कर पत्थरगढ़ी कर दी जावे। विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 10 ता 12 व 14 ने दौराने बहस कथन किया कि हम भी पड़ौसी खातेदार हैं अतः हमारी उपस्थिति में पत्थरगढ़ी की जावे।

दोनों पत्रावलियों में एक साथ निर्णय किये जाने की उभय पक्षकारान की सहमति उपरान्त बहस पर मंनन किया गया तथा दोनों पत्रावलियों पर उपलब्ध प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। जिससे जाहिर है कि वादग्रस्त भूमियों में प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड रिकार्डेड खातेदार है। अतः दोनो पत्रावलियों में समस्त खातेदारान, पड़ौसी खातेदारान व उभयपक्षकारान को सूचित कर बाद सम्यक संतुष्टि मुताबिक सीमाज्ञान पत्थरगढ़ी किया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी बाबत् पत्थरगढ़ी स्वीकार किये जाने योग्य है।

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी

आदेश

प्रा0 पत्र0 233/2022

प्रा0 पत्र0 212/2021

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र संख्या 212/2021 बउनवानी श्रवणी वगै. बनाम तहसीलदार वगै. तथा प्रार्थना पत्र 133/2021 रामकरण बनाम अशोक वगै. स्वीकार किये जाकर तहसीलदार नीमकाथाना को आदेशित किया जाता है कि राजस्व ग्राम चला तहसील नीमकाथाना स्थित भूमि खसरा नंबर 430 रकबा 1.96 हैक्टे0, 544 रकबा 1.39 हैक्टे0, 546 रकबा 1.01 हैक्टे0, 548 रकबा 0.99 हैक्टे0की खातेदारान, सहखातेदारान, पडौसी खातेदारान व उभयपक्षकारान को सूचित कर बाद सम्यक संतुष्टि सीमाज्ञान दिनांक 08.07.2021 व 07.06.2021, उक्त खसरा नम्बरान की चतुर्दिक सीमाओं पर पत्थरगढ़ी की जावे। दौराने पत्थरगढ़ी किसी प्रकार का कब्जा दिलवाने अथवा बेदखली की कार्यवाही नही की जावें। तहसीलदार नीमकाथाना को इस हेतु तहरीर जारी हो। निर्णय की प्रति दोनो प्रार्थना पत्र में शामिल हो। पत्रावली बाद फैसल शुमार नम्बर से कम होकर दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)